

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

संस्तो-सो नो -11-सो यो-48/2017-18/319

मत्स्य, रौंघी, दिनांक-31.03.22

शुद्धि-पत्र

योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, रौंघी के संकल्प यो 2817/वि० दिनांक 30.09.2016, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.1(13)PFMS/FCO/2020 दिनांक 23.03.2021 के आलोक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग), द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश सं० 48 रा० (वि०) दिनांक 29.03.2022 की कंडिका-7 (क) में निर्धारित निकासी एवं व्यय की प्रक्रिया को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, रौंघी होंगे तथा राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से की जायेगी। इस योजना के तहत स्वीकृत/आवृत्त राशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राशि की विमुक्ति एवं अनुश्रवण हेतु चालू की गयी Public Financial Management System (PFMS) PFMS की नयी प्रक्रिया को अपनाने हुए PMMSY हेतु नामित SNA के खाते से इस योजना के नोडल एजेंसी NFDB को सीधे अथवा पूर्ण निर्धारित किसी 1A के माध्यम से इस्तेमाल किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर संसूचित रानी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।"

2. राज्यादेश संख्या- 48 रा० (वि०) दिनांक-29.03.2022 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

(अनुवाक सित्दुख यो०)

सरकार के सचिव

संस्तो-सो नो -11-सो यो-48/2017-18/319 / मत्स्य, रौंघी, दिनांक-31.03.22

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, रौंघी/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रौंघी/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड, रौंघी/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/ जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, रौंघी एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र, रौंघी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

संस्तो-सो नो -11-सो यो-48/2017-18/319 / मत्स्य, रौंघी, दिनांक-31.03.22

प्रतिलिपि : वित्त विभाग (बजट शाखा), झारखण्ड, रौंघी/परीय लेखा पदाधिकारी, PFMS, झारखण्ड, रौंघी/आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आत सचिव/सभी प्रगंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आत सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रौंघी के सचिव को सूचना हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव